न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या 2020/00784/अजमेर

श्री रमजान मोहम्मद पुत्र श्री गफूर मोहम्मद जाति मुसलमान रंगरेज, निवासी न्यु कॉलोनी, पीसांगन जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।
2. ग्राम पंचायत पीसांगन जरिये सरपंच, जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
क्रमांक एफ.12(सी) कअ/राजस्व/11/38 दिनांक 14–02–2011

————

उपस्थित– 1. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक, अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 12–12–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रशासन गांव के संग अभियान–2010 के अन्तर्गत शिविर प्रभारी अधिकारियों ने संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति से ग्रामों मे राजकीय विभागों हेतु भूमि आवंटन के प्रतिवेदन अनुशंषा सहित प्रस्तुत किये। उक्त आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1956 के नियम 7 के प्रावधानानुसार ग्रामवार 4 हेक्टर से कम चारागाह भूमि को चारागाह से खारिज कर सिवायचक में परिवर्तित करने एवं सिवायचक में परिवर्तित भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय भूमि के आवंटन) नियम 1963 में जारी अधिसूचना दिनांक 30–11–2010 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ग्राम झिरोता, नोहरिया प0स0 किशनगढ़, श्यामगढ़ प.स0 मसूदा, माथुवाड़ा, लसाड़िया पं0स0 ब्यावर, नागेलाव, पीसांगन प0स0 पीसांगन में राजकीय विभागों को निःशुल्क आवंटन करने के आदेश पारित किये है जिसमें से खसरा नम्बर 2870 रकबा 6.24 हैक्टर में से 5200 वर्गमीटर भूमि

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ के क्वाटर के लिए आवंटित की गई है पंचायत समिति पीसांगन की आबादी न्यू कॉलोनी में स्थित ग्राम पंचायत का पट्टा शुदा भूखण्ड क्षेत्रफल 125 वर्गगज जरिये विक्रय पत्र अपीलार्थी ने श्रीमती दुर्गा कंवर धर्मपत्नी स्व0 श्री गणेश सिंह, मान सिंह पुत्र श्री गणेश सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेवड़िया रोड़ से दिनांक 21–7–2015 को क्रय किया। उक्त भूखण्ड स्व0 श्री गणेश सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह के स्वामित्व का था। उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत पीसांगन ने श्री गणेश सिंह को बेचान किया तथा पट्टा जारी किया तथा पट्टे का रजिस्ट्रेशन उप–पंजीयक कार्यालय पीसांगन में किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 2870 का भाग है और उक्त खसरा नम्बर ग्राम पंचायत पीसांगन की आबादी में स्थित है जिसे जिला कलक्टर अजमेर ने उनके आदेश क्रमांक एफ.12(सी) कअ/राजस्व/11/38 दिनांक 14–02–2011 द्वारा 5200 वर्गमीटर भूमि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ के लिए आवंटित कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि तहसीलदार, पीसांगन ने गलत तथ्यों एवं गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर अजमेर को दस्तावेज भेजकर खसरा नम्बर 2870 की 5200 वर्गमीटर भूमि स्टॉफ क्वार्टर के लिए आवंटन कराने की कार्यवाही की है। यह भूमि आबादी भूमि है जिसमें अपीलार्थी का भी एक भूखण्ड था जिस पर वह वर्षो से काबिज चला आ रहा था परन्तु तहसीलदार पीसांगन ने अपीलार्थी के विरूद्ध व्यक्तिगत द्वेषता के चलते प्राथमिकी दर्ज करा दी जिसके कारण अपीलार्थी न्यायालय के चक्कर काटता रहा और प्रशासनिक स्तर पर भी अपीलार्थी ने काफी प्रयास किये जिनमें अपीलार्थी को सफलता भी मिली किन्तु आगे कार्यवाही नहीं होने के कारण अपीलार्थी को आवंटन आदेश के लिए चुनौती देनी पड़ी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा राजकीय भूमि

बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर मूल अपील को मियाद के स्तर पर ही खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर अजमेर ने आदेश दिनांक 14–2–2011 के द्वारा खसरा नम्बर 2870 रकबा 6.24 हेक्टर भूमि में से 5200 वर्गमीटर भूमि उपखण्ड कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ के लिए क्वॉटर निर्माण के लिए आवंटित की है। इस हेतु तहसीलदार, पीसांगन ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय भूमि के आवंटन) नियम 1963 एवं धारा 102 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत चेक लिस्ट तैयार कर प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी पीसांगन को भेजे जिन्होंने प्रशासन गांवो के संग अभियान–2010 में गैर मुमकिन आबादी खाता संख्या 1 में से 5200 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रस्ताव जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित किया गया। तहसीलदार की चेकलिस्ट के साथ मौका रिपोर्ट में यह अंकित है कि क्या भूमि पर अतिक्रमण है। यदि है तो अतिक्रमण किये गये रकबे के प्रकार के विवरण सहित सूची संलग्न करे। इस पर पटवारी हल्का ने लिखा कि मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इस प्रकार जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई व विधि के प्रावधनों के विपरीत है क्योंकि तहसीलदार, पीसांगन स्वयं ने अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि ग्राम पीसांगन के खसरा नम्बर 2870 रकबा 0.52 किस्म गैर मुमकिन आबादी मे उपखण्ड अधिकारी पीसांगन एवं स्टॉफ के क्वार्टर के लिए आवंटित की गई है। उक्त भूमि के दक्षिण पश्चिम कोने पर ग्राम पीसांगन निवासी रमजान मोहम्मद ने अवैध रूप से नीवें भरकर अतिक्रमण किया हुआ है।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम पीसांगन की वर्किंग जमाबंदी जिसमें खसरा नम्बर 2701 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2764 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2061–2080 के अनुसार खसरा नम्बर 2701 व 2764 के नवीन खसरा नम्बर 2870 रकबा 6.24 हैक्टर बने है। उसके पश्चात जमाबंदी सम्वत 2069–2072 में भी खसरा नम्बर 2870 को गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार जमाबंदी सम्वत 2065–68 में भी यह भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। इस प्रकार

जिला कलक्टर को पंचायत में स्थित गैर मुमकिन आबादी की भूमि को स्टॉफ क्वार्टर के लिए आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि जो भूमि अतिक्रमण मुक्त हो तथा मोके पर किसी का भी कब्जा नहीं हो वही भूमि आवंटित की जा सकती है। खसरा नम्बर 2870 की भूमि जहां पर वह काबिज वह भूमि अपीलार्थी के स्वामित्व की है तथा अपीलार्थी ने उक्त भूमि श्री गणेश सिंह के वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तथा श्री गणेश सिंह को उक्त भूमि ग्राम पंचायत ने पीसांगन ही बेचान कर पट्टा जारी किया है तथा पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाया है। अपीलार्थी मौके पर विधिवत रूप से काबिज है। आबादी भूमि पर अतिक्रमण के विषय में यदि कोई आपत्ति है तो उसके लिए ग्राम पंचायत ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। वर्किंग जमाबंदी व इससे पूर्व के राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 2870 रकबा 6.24 हैक्टर जिसके साबिक खसरा नम्बर 2701 व 2764 है वे शुरू में ही आबादी भूमि में दर्ज है और इस पर आबादी बसी हुई है तथा भेड़ एवं ऊन विभाग का कार्यालय भी इसी भूमि में है तथा अन्य आबादी भी बसी हुई है।

उनका यह भी कथन है विकास अधिकारी पंचायत समिति पीसांगन ने अपने पत्र दिनांक 26–6–2009 में जिला कलक्टर अजमेर को रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें प्राप्त प्रकरण में ग्राम पंचायत पीसांगन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री रमजान द्वारा गोविन्दगढ़ रोड पर अतिक्रमण कर रखा है। श्री रमजान को वर्तमान डीएलसी रेट से राशि जमा कराने हेतु कहा गया परन्तु इनके द्वारा राशि नहीं दी जा रही है। मेरे द्वारा दिनांक 18–6–2009 को मौका निरीक्षण किया गया। श्री रमजान वर्षो से इस भूमि पर काबिज है। श्री रमजान ने बताया कि वे अब नियमानुसार दर पर राशि जमा कराकर पट्टा लेने को तैयार है। श्री रमजान द्वारा भूखण्ड की राशि जमा कराने पर पट्टा दे दिया जायेगा जिस पर जिला कलक्टर ने अपने पत्र क्रमांक 5830 दिनांक 6–8–2009 के द्वारा सूचित किया कि रमजान वर्षो से इस भूमि पर काबिज है। श्री रमजान ने बताया कि वे अब नियमानुसार दर पर राशि जमा कराकर पट्टा लेने को तैयार है। श्री रमजान द्वारा भूखण्ड की राशि जमा कराने पर पटटा दे दिया जायेगा। अपीलार्थी ने जब अपनी सहमति दे दी कि वह निर्धारित शुल्क जमा कराने को तैयार है परन्तु उसके उपरान्त भी ना तो ग्राम पंचायत पीसांगन ने अपीलार्थी को पट्टा जारी किया बल्कि तहसीलदार ने उक्त मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलार्थी जहा काबिज है खसरा नम्बर 2870 का भाग है को रिक्त बताकर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 2870 की 5200 वर्गमीटर भूमि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए आवंटित करवा दी। राजस्व रेकार्ड में अंकिन इन्द्राजों के अनुसार खसरा नम्बर 2870 की भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है और ऐसी भूमि पर आधिपत्य ग्राम पंचायत का रहता है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 165 के अनुसार कार्यवाही करने के अधिकार पंचायत को है और पंचायत को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह नियम 146 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भूमि आवंटित

करे और पट्टा जारी करे। इस प्रकार जो भी कार्यवाही की जानी चाहिए थी वह ग्राम पंचायत स्तर पर की जानी थी। प्रस्तुत प्रकरण में श्री अशोक कुमार ने एक दीवानी वाद संख्या 67/2013 न्यायालय सिविल न्यायाधीश पुष्कर में प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 28–2–2017 को डिक्री किया तथा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, तहसीलदार, पीसांगन, कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीसांगन तथा जिला कलक्टर अजमेर को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि वे अशोक कुमार के स्वामित्व के भूखण्ड के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। न्यायलय के उक्त कार्यवाही के उपरान्त तो जिला कलक्टर अजमेर का आवंटन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.12(सी) कअ/राजस्व/11/38 दिनांक 14–02–2011 के क्रम संख्या 11 में खसरा नम्बर 2870 रकबा 5200 वर्गमीटर भूमि जो उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के स्टॉफ के क्वार्टर हेतु आवंटित की गई है जिसे अपीलार्थी के प्लाट के हक तक निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.12(सी) कअ/राजस्व/11/38 दिनांक 14–02–2011 प्रशासनिक आदेश था न्यायिक आदेश नहीं है। अपीलार्थी को प्रस्तुत प्रकरण में सिविल न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। अपीलार्थी द्वारा अपील 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मियाद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है। राजकीय /सिवायचक भूमि पर यदि किसी का अतिक्रमण है तो भी खाली ही मानी जावेगी। ग्राम पंचायत पीसांगन से निर्माण की कोई अनुमति नहीं है। अपीलार्थी प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं थे पक्षकार बनने के लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। खसरा नम्बर 2870 के साबिक खसरा नम्बर 2701 व 2764 शुरू से ही आबादी भूमि सिवायचक खाते में दर्ज है व शेष भूमि ग्राम पंचायत के खाते में है। भेड़ ऊन विभाग का परिसर इसी खसरे में है। भेड़ ऊन विभाग के परिसर खाली रिक्त भूमि का ही आवंटन हुआ है जो सरकारी थी एवं मौके पर उक्त परिसर की चारो ओर चारदीवारी बनी हुई है। अतः आवंटन राजकीय भूमि का ही किया गया है। उक्त भूमि सरकारी खाते में दर्ज थी जिसका जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आवंटन किया गया है जो विधिसम्मत है। उक्त भूमि सरकारी खाते में दर्ज है जिस पर पंचायत राज विभाग को पट्टा जारी करने का कोई क्षैत्राधिकार नियत नहीं है। विवादित भूमि वर्ष 2010–11 में रिक्त थी जहां पर अपीलार्थी ने दक्षिणी पश्चिमी कोने में अपना अतिक्रमण बताया है उक्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा भूमि आवंटन के बाद अपीलार्थी ने दिनांक 1–10–2015 को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से पत्थर डालने पर पुलिस थाना पीसांगन में तत्कालीन तहसीलदार पीसांगन ने प्रथम सूचना अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज कराई जो दिनांक 1–10–2015 को क्रम संख्या 159/15 पर दर्ज हुई एवं बाद तफ्तीश दिनांक 16–10–2015 को अपीलार्थी रमजान के विरूद्ध चालान पेश किया गया प्रकरण ग्राम न्यायालय में जैरकार है। ग्राम पंचायत उक्त भूमि पर

किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखती है। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा राजकीय विभागों के उपयोग हेतु एवं उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ के क्वाटर के लिए आवंटित किया गया है जो विधिसम्मत है। जिला कलक्टर अजमेर के उक्त आवंटन आदेश क्रमांक 38 दिनांक 14–2–2011 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1532 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में अंकन भी किया जा चुका है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि जिला कलक्टर अजमेर ने उनके आदेश क्रमांक क्रमांक एफ.12(सी) कअ/राजस्व/11/38 दिनांक 14–02–2011 द्वारा 5200 वर्गमीटर राजकीय सिवायचक भूमि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ एवं अन्य उपयोग के लिए आवंटित करने के आदेश पारित किये है। विवादित आराजियात राजकीय/ सिवायचक बाडा गै0मु0 आबादी भूमि थी जो रिक्त है एवं ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं थी। वर्ष 2010–11 में विवादित भूमि रिक्त थी जहां तक अपीलार्थी ने दक्षिणी पश्चिमी कोने में अपना अतिक्रमण बताया है उक्त भूमि पर अपीलार्थी ने पत्थर डालकर अतिक्रमण किया हुआ था जिसकी पुलिस थाना पीसांगन में तत्कालीन तहसीलदार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज कराई जो दिनांक 1–10–2015 को क्रम संख्या 159/15 पर दर्ज हुई एवं बाद तफ्तीश दिनांक 16–10–2015 को अपीलार्थी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। विवादित भूमि ग्राम पंचायत पीसांगन के पक्ष में अभी तक आवंटित नहीं होने से ग्राम पंचायत का क्षैत्राधिकार नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के कार्यालय के स्टॉफ क्वार्टर के लिए भूमि आवंटित की गई है तथा ग्राम पंचायत पीसांगन को गै0मु0 आबादी भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2870 के साबिक खसरा नम्बर 2701 व 2764 शुरू सें आबादी भूमि सिवायचक खाते में दर्ज है व शेष भूमि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है। भेड़ ऊन विभाग का परिसर इसी खसरे में है। भेड़ ऊन विभाग के परिसर खाली रिक्त भूमि का ही आवंटन हुआ था जो सरकारी थी एवं मौके पर उक्त परिसर की चारो ओर चारदीवारी बनी हुई है। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन में कार्यरत स्टॉफ के क्वार्टर के लिए आवंटन राजकीय भूमि का ही किया गया है। जिस पर ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि जिला कलक्टर अजमेर ने उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–02–2011 द्वारा खसरा नम्बर 2870 रकबा 6.24 हैक्टर में से 5200 वर्गमीटर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर निर्माण के लिए आवंटित की गई है वह विधिसम्मत है। चूंकि विवादित

भूमि खसरा नम्बर 2870 सिवायचक खाते में दर्ज थी जिसका आवंटन राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 के तहत ही किया जा सकता है। उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी मात्र होने से भूमि का स्वामित्व पंचायती राज विभाग का नहीं हो जाता है। विवादित भूमि सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज होने से भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग का था जिस पर जिला कलक्टर अजमेर ने अपने आदेश द्वारा खसरा नम्बर 2870 में से 5200 वर्ग मीटर भूमि क्वार्टर हेतु आवंटित की गई तथा शेष भूमि को ग्राम पंचयत को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है जो विधिसम्मत है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2870 में ग्राम पंचायत द्वारा जरिये निलामी जारी पट्टा अवैध है क्योंकि उक्त भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत का कभी रहा ही नहीं है। दीवानी वाद संख्या 67/13 माननीय सिविल न्यायालय पुष्कर के द्वारा पारित डिक्री दिनांक 28–2–2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर में अपील संख्या 571/19 प्रस्तुत की गई है। वाद संख्या 67/13 का संबंध अपीलार्थी के प्रकरण से नहीं है। जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/कअ/राजस्व/11/38 दिनांक 14–02–2011 के द्वारा शिविर प्रभारियों की अनुशंषा के आधार पर तहसील किशनगढ़, मसूदा, ब्यावर एवं पीसांगन के ग्रामों की राजकीय/सिवायचक भूमि का आवंटन कार्यालय निर्माण एवं स्टॉफ के क्वार्टर निर्माण हेतु किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/एफ.–12(सी) कअ/राजस्व/11/38 दिनांक 14–2–2011 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर